



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012023-243306
CG-DL-E-31012023-243306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]
No. 442]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2023/माघ 11, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2023/MAGHA 11, 1944

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2023

का.आ. 457(अ).—वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की अधिसूचनाओं, 18 अप्रैल, 2016 के का.आ.1443 (अ), 16 अप्रैल, 2020 के का.आ.1261(अ) और 01 जुलाई, 2021 के का.आ.2668(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के नाम से जानी जाने वाली योजना (जिसे इसके पश्चात् उक्त योजना के रूप में संदर्भित किया जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. 18 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1443(अ) के अध्याय III के पैरा क्रम सं. 8 (i) (ख) को निम्नवत पढ़ा जाएगा:

(ख) आगामी वर्षों के दौरान – पोर्टफोलियो के चालू रहने के दौरान कृस्टलीकृत पोर्टफोलियो के बकाया शेष (एनपीए हो चुके खातों सहित) के अनुरूप स्वीकृत राशि पर गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा और गारंटी वित्तीय वर्ष के अंत तक वैध रहेगी। “तथापि, वित्तीय वर्ष 2023-24 से पोर्टफोलियो (एनपीए हो चुके खातों सहित) के लिए पिछले वर्षों का गारंटी शुल्क उस वित्त वर्ष के 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया राशि पर लगाया जाएगा, सिर्फ कार्यशील पूंजी खातों के उन मामलों को छोड़कर जिनमें यह स्वीकृत राशि पर लिया जाना जारी रहेगा, जैसाकि अब तक लिया जाता रहा है।” पोर्टफोलियो में एनपीए खातों के संबंध में गारंटी शुल्क का

भुगतान ऐसे खातों के लिए दावा किये जाने तक, निधि द्वारा राशि के लिए निर्दिष्ट दर पर या जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण पर आधारित शुल्क/ऐसी संदर्भ तिथियों के लिए ऐसी अन्य राशि या समय-समय पर निधि द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट दर पर जारी रहेगा (5 मॉडलों के संबंध में जोखिम आधारित गारंटी शुल्क संघटक संलग्नक में दिए गए हैं)।

2. 18 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1443(अ) के अध्याय III के पैरा क्रम सं. 8 (ii) को निम्नवत पढ़ा जाएगा:

“आधार वर्ष के लिए” गारंटी शुल्क का भुगतान तिमाही समाप्ति के बाद 16 दिनों के अंदर किया जाएगा। (सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को तिमाही समाप्ति से 7 दिनों के अंदर एक प्रबंधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद, एनसीजीटीसी द्वारा प्रबंधन प्रमाणपत्र प्राप्त होने के 3 दिनों के अंदर एक ऋण गारंटी मांग सूचना पत्र (सीजीडीएएन) जारी किया जाएगा और बाद में सीजीडीएएन जारी किए जाने से 3 दिनों के अंदर गारंटी शुल्क देय होगा।) “बाद के वर्षों अर्थात्, 01 अप्रैल, 2023 से पिछले वर्षों के खातों (एनपीए खातों सहित), जिन्हें जारी रखने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान गारंटी की मांग की गई है, के लाइव पोर्टफोलियो के आंकड़े एमएलआई द्वारा 31 जुलाई या उससे पहले प्रस्तुत किए जाएंगे और वार्षिक गारंटी शुल्क का भुगतान 31 अगस्त या उससे पूर्व या ऐसी किसी तिथि पर किया जाएगा, जिसे वित्तीय वर्ष के लिए गारंटी कवर को जारी रखने के लिए एनसीजीटीसी द्वारा निर्धारित किया जाए।”

3. 16 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.1261(अ) के उप-पैरा (V) (घ) के खंड को वित्तीय वर्ष 2022-23 से पोर्टफोलियो के लिए हटा दिया गया है।
4. क्रम संख्या 1 से 5 के सामने अर्थात् सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) की सभी श्रेणियों के लिए जोखिम आधारित गारंटी शुल्क संघटकों को परिभाषित करने वाली उक्त योजना के संबंध में 18 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1443(अ) में आए शब्दों “स्वीकृत राशि के 1% की मानक आधारभूत दर (एसबीआर)” को “स्वीकृत/बकाया राशि के 1% की मानक आधारभूत दर, जैसा भी मामला हो” पढ़ा जाएगा।
5. अधिसूचना(ओं) की अन्य विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा. सं. 16/01/2021-पीएमएमवाई]

मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2023

S.O. 457(E).—In partial modification of MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services), NOTIFICATIONS New Delhi number S.O. 1443(E) dated the 18th April, 2016, number S.O. 1261(E) dated the 16th April, 2020 and number S.O. 2668 (E) dated the 01st July, 2021, the Central Government hereby makes the following amendments to the Scheme known as the Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) (hereinafter referred to as the said Scheme), namely:-

1. Paragraph at Serial No. 8 (i) (b) of Chapter III of Notification number S.O. 1443(E) dated the 18th April, 2016, shall be read as:

(b) During subsequent years - The guarantee fee will be paid on the sanctioned amount corresponding to the outstanding balance (including on accounts which have turned NPA) of the crystallized portfolio during the currency of the portfolio and Guarantee will be valid upto the end of that financial year. “However, from FY 2023-24, guarantee fee on portfolios (including on accounts turned NPA) of past years shall be charged on the outstanding amount as on April 01 of the Financial Year except in case of working capital accounts where it shall continue to be charged on sanctioned amount, as hitherto.” Guarantee fee with respect to NPA

accounts in the portfolio would continue to be paid till lodgement of claim for such accounts, at a rate specified by the Fund on the amount or fee based on risk based pricing/such other amount on such reference dates or specified rate set by the Fund from time to time (risk based guarantee fee components given at Attachments in respect of 5 Models).

2. Paragraph at Serial No. 8 (ii) of Chapter III of Notification number S.O. 1443(E) dated the 18th April, 2016, shall be read as:

“For the Base year,” guarantee fee shall be paid within 16 days from the end of the quarter. (The MLI would need to furnish a Management Certificate within 7 days from the end of the quarter, after which, a Credit Guarantee Demand Advice Note [CGDAN] would be issued by NCGTC within 3 day of receipt of Management Certificate and subsequently, the guarantee fee shall be payable within 3 days from the issue of CGDAN). “For subsequent years w.e.f. April 01, 2023, data of live portfolio of accounts (including NPA accounts) of previous years for which guarantee is sought to be continued during the Financial Year will be furnished by the MLI on or before July 31 and Annual Guarantee fee shall be paid on or before August 31 or such other date as may be decided by NCGTC to enable guarantee cover for the Financial Year.”

3. The clause at sub-para (v) (d) of Notification number S.O. 1261(E) dated 16th April, 2020, has been omitted for portfolios of FY 2022-23 onwards.
4. The words “Standard Basic Rate (SBR) of 1% of sanctioned amount” appearing in the Attachment of Notification number S.O. 1443(E) dated the 18th April, 2016 to the said Scheme defining risk based guarantee fee components will be read as ‘Standard Basic Rate (SBR) of 1% of sanctioned/outstanding amount, as the case may be’ against serial numbers 1 to 5, i.e. for all categories of Member Lending Institutions (MLIs).
5. Other contents of the Notification(s) shall remain unchanged.

[F. No. 16/01/2021-PMMY]

MUKESH KUMAR BANSAL, Jt. Secy.